श्री अरुण जेतली: सभापति जी, जैसा मैंने पहले कहा, जहां तक भुज का ट्रांसमीटर है वह अपने क्षेत्रीय ट्रांसमीटर के लिए है, इसको रिप्लेस करके उसकी कैपेसिटी डबल की जा रही है। इसी फाइनेन्सियल ईयर के भीतर उसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। जहां तक विदेश संचार का संबंध है, एक्सटर्नल सर्विसेस का संबंध है, वह भुज से नहीं बल्कि राजकोट से है और जो राजकोट से रिले होती है वह पड़ौसी देश में, काफी बड़ी-बड़ी टेरोटरि जो भुज के साथ लगती है, उसको भी कवर करती है।

Inclusion of Communities in STs List in Assam

*4. DR. (Shrimati) JOYASREE GOSWAMI MAHANTA: Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the proposal for declaring Koch-Rajbonshis and five other communities for inclusion in the list of Scheduled Tribes of Assam is pending with Government for decision;

(b) If so, what is the present status of the proposal;

(c) Whether it is also a fact that the said proposal has been recommended by the Parliamentary Select Committee appointed for the purpose; and

(d) If so, whether Government propose to amend the list of Scheduled Tribes for Assam immediately?

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): (a) Yes, Sir,

(b) The proposal is under consideration in accordance with procedural formalities as approved by the Government on 15.06.1999.

(c) Yes, Sir,

(d) Process of revision of lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is on, however, no time frame can be given.

DR. (Shrimati) JOYASREE GOSWAMI MAHANTA: Sir, I would like to know, (a) whether it is a fact that the proposal for declaring Koch-Rajbonshis and five other communities for inclusion in the list of Scheduled Tribes of Assam is pending with the Government for decision. (b) if so, what is the present status of the proposal. Regarding part (b), I would like to ask the Hon'ble Minister concerned as to what are those procedural formalities which were approved by the Government on 15th June, 1999.

श्री जुएल उराम: सर, ऐसा है कि जब किसी कम्युनिटि का शेडयुल्ड ट्राइब्ज में इन्क्लयूजन करने का सवाल होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रिकमंड होकर केस मिनिस्टरी में आता है। मिनिस्टरी उसमें रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया की ओपिनियन और शेडयुल्ड कास्ट व शेडयुल्ड ट्राइब्ज जो कमीशन है उसकी ओपिनियन लेकर उसे एग्जामिन करती है। अगर केस सही पाया जाता है तो कैबिनेट के पास डिसीजन के लिए जाता है, कैबिनेट में जब एप्रूव हो जाता है तो उसे हाऊस में बिल के रूप में लाया जाता है और हाऊस से जब पास हो जाता है तो वह नोटिफाई होकर उस ट्राइब्ज को शेडयुल्ड ट्राइब्ज लिस्ट में लिया जाता है।

DR. (Shrimati) JOYASREE GOSWAMI MAHANTA: Regarding part (d), I would like to know whether there are any special schemes for the development of SC/ST people in the insurgency-torn Assam, in the near future and, if so, what are those schemes?

श्री जुएल उराम: सभापति जी, इस मिनिस्टरी के पास आईटीडीए, इंटीग्रेटेड ट्राइब्ज डवलपमेंट एजेन्सी, एमएडीए, मोडिफाई एरिया डवलपमेंट एजेन्सी और क्लस्टर एंड प्रिमिटिव ट्राइब्ज ग्रुप या स्पेशल ट्राइब्ज जो हैं उनके लिए काम किया जाता है। इसके अलावा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस भी केस टू केस बेसिस में दिया जाता है। वीमेन लिटरेसी के लिए हंडरेड परसेंट ग्रांट है, वह भी केस टू केस बेसिस में और जो टेन परसेंट एंड बिलों लिटरेसी रेट है जिला में, उसके लिए भी एक प्रोवीजन है।

जहां तक असम का केस है, माननीय सदस्या अगर स्पेसिफिक इसका बोलेंगी या इसके लिए रिक्वेस्ट भेजेंगी हमको, मिनिस्टरी को, तो हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे और उस पर विचार किया जा सकता है।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister the names of those communities of Assam which are under the active consideration of the Government for inclusion in the list of Scheduled Tribes. The second part of my supplementary is this. Koch-Rajbonshis were declared Scheduled Tribes by an Ordinance in the month of February, 1996. This Ordinance was repromulgated on several occasions. Ultimately the Ordinance lapsed after the Select Committee gave its opinion. One complication has arisen. Koch-Rajbonshis were originally in the list of OBCs. When they became Scheduled Tribes by an ordinance, they enjoyed the status of Scheduled Tribes. But when the ordinance lapsed, they were neither in the list of OBC's nor in the list of Scheduled Tribes. This problem has been communicated to the Government of India. I would like to know from the hon. Minister whether the Government of India has taken any decision

in regard to the status of Koch Rajbonshis. Sir, there is a need for a fresh ordinance or a new Bill to be introduced for inclusion of these communities including Koch-Rajbonshis in the list of Scheduled Tribes.

श्री जुएल उराम: ऐसा है कि कोच-राजबोंशिस और अन्य ताई एहॉम, मारन, मटॉक, चुटिया, इन छः को एस॰टी॰ केटेगरी में लिया जाए, इसके लिए 1981 से प्रोसिज़र चल रहा है। असम गवर्नमेंट ने एक बार, इसको रिवाइज़ न किया जाए, ऐसा ओपीनियन देकर भेजा। दूसरी बार, फिर एक बार इसको लिया जाए, ऐसा ओपीनियन देकर भेजा गया। इसके लिए एक बार नहीं, चार बार आर्डिनेंस हो चुके हैं--पहला आर्डिनेंस 27.01.1996 को, दूसरा 27.03.1996 को, तीसरा 27.06.1996 को और चौथा आर्डिनेंस 09.08.1996 को हुआ, जिसके तहत वे लोग ट्राइब्स लिस्ट में आए थे और उनमें से कुछ शायद ट्राइब्स की फेसिलिटी अवेल किए होंगे। उसके बाद यह 2 अप्रैल, 1996 को लैप्स कर गया और उसके बाद से उनको एस॰टी॰ की फेसिलिटी नहीं मिल रही है। यह मामला हाउस में आया, एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनी, इन 6 केटेगरी को एस॰टी॰ लिस्ट में लाने के लिए। उस ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने रिकमेंड करके भेजा है कि 6 केटेगरी, राजबोंशिस केटेगरी को मिलाकर और 60 केटेगरी को भी असम की एस॰टी लिस्ट में लिया जाए और इस पर एंथ्रोपोलोजी डिपार्टमेंट में स्टडी हो रहा है। 20 ट्राइब्स के बारे में उनकी स्टडी रिपोर्ट आई है, 40 की बाकी है। तो प्रोसिज़र वही है कि स्टडी होकर आने के बाद अगेन रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया का ओपीनियन लिया जाएगा और यह अगर सही पाया गया तो इसको नोटिफाई किया जाएगा। अगर यह वहां से क्लीअर होकर आएगा तो इसको सरकार नोटिफाई करेगी, इसमें इतनी ही बात है।

SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Sir, several ethnic groups of Assam particularly Koch-Rajbonshis, Moran, Mattack, Tai Ahoms and tea garden tribes have been demanding for the last several years that they should be included in the list of Scheduled Tribes. The Select Committee has already suggested that these communities should be included in the list of Scheduled Tribes by amending the Constitution. If these communities are rescheduled as Tribes, then a majority of the people of Assam, would become tribals. Then Assam can be declared as a Tribal State. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is prepared to do that. I would also like to know from the hon. Minister whether they are trying to reschedule all these ethnic groups of Assam so that they can get the protection of Assamese nationality. Are you going to declare the State of Assam as a Tribal State?

श्री जुएल उराम: ट्राईबल स्टेट डिक्लेयर करने का काम क्वश्चिन के परव्यू में नहीं आता, इसलिए मैं इसका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। अभी तक 60 ग्रुप्स का रिकमंडेशन पार्लियामेंटरी

कमेटी ने किया है और इनकी पहचान की गई है। इसकी डिटेल्स अभी आई नहीं हैं। अभी इस पर स्टेट गवर्नमेंट का रिकमंडेशन आना है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ओपीनियन आना है, एस॰सी॰/एस॰टी॰ कमीशन का ओपीनियन आना है और उनकी डिटेल्स में जाना बाकी है। एस॰टी॰ डिक्लेयर करने से पहले उनका कल्चर, उनका जो सिस्टम है, उनकी डिटेल्स में जाना पड़ता है। ये डिटेल्स अभी अवलेबल नहीं हैं। यह जानकारी आने के बाद हमारी मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट उस पर कुछ डिसीजन ले सकेगी। अभी उनके बारे में रिपोर्ट आ रही है। इसलिए तुरंत डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है।

श्री राघवजी: माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि अनुसूचित जनजातियों में कोई जाति जोड़ने के लिए एक प्रोसीजर है जिसमें कि राज्य सरकार अनुशंसा करती है और फिर उसके ऊपर विचार होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में मांझी जाति के बारे में..... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: That question does not arise... (*Interruptions*)

श्री राघवजी: उनके जवाब में से ही यह सवाल मैं पूछ रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: No this does not arise out of the question. This question is regarding the North-East. Now, Shri Balwant Singh Ramoowalia.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: The question of inclusion of Koch-Rajbonshis was taken up in 1996. Four Ordinances were promulgated, and all of them lapsed. Later on, a strong wave of resentment was there against the very basis of inclusion of the Koch-Rajbonshis into the list, because the Koch-Rajbonshis do not fall within the parameters which are laid down by the Constitution and also of the Commission for SCs and STs' proceedings. Will the Minister think of keeping in view the standard of living, the richness, the social supremacy, which is being enjoyed by the Koch-Rajbonshis so as to totally drop the Koch-Rajbonshis from inclusion in the list?

श्री जुएल उराम: कोच राजवंशी के लिए स्पैसिफिक डिटेल्स नहीं मिली हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने भी कोच राजवंशी के साथ 60 ग्रुप्स के लिए रिकमेंड किया है कि इनको भी इन्क्लूड किया जाए। इसके लिए ऐन्थ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट को डिटेल्स सबमिट करना है कि वे रिच हैं या पुअर हैं और उनको आदिवासी कैटेगरी में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिटेल्स अभी तक आई हैं। अभी तक हम 20 के बारे में स्टडी कर पाए हैं। बाकी के बारे में भी जब डिटेल्स आ जाएगी, तभी उन पर विचार होगा। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं कि हम कोच राजवंशी को ड्रॉप करने की सोच रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता।

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri J. Chitharanjan.